

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस


क्रमांक रीडर/2019/ 2164

दिनांक - 17.05.19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मांगाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 121/2019	1 गोरधनराम पुत्र देराजराम वगैराह जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।	

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 284 रकबा 32.09 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 53.07 बीघा, खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 19.12 बीघा, खसरा संख्या 1045/302 रकबा 12.12 बीघा व खसरा संख्या 1046/302 रकबा 36.14 कुल रकबा 155.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-17.05.19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 2165- 68

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मांगाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गोरधनराम पुत्र देराजराम वगैराह जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर